मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कमॉक : एल 1–10/500/2025/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

2. **समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,**
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय :– राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग का पत्र कमॉक : एल 1–10/471/2025/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2025

000

संदर्भित पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्माण कार्य विभाग (WDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित) योजनाओं हेतु रूपये 50 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए कुछ मदों के देयकों को छोड़कर शेष सभी देयकों के आहरण हेतु वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की गई है । विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित मदों के देयकों के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति प्रदान की जाती है :–

IV ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ जिन्हें SNA SPARSH पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है, उनमें किसी भी प्रकार के देयकों के आहरण के लिए यह सीमा लागू नहीं होगी अर्थात् SNA SPARSH में भारत सरकार से MOTHER SANCTION प्राप्त होने के उपरांत निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए विभाग द्वारा अपने स्तर से देयक कोषालय में प्रस्तुत किये जाये।

V ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ जिनमें SNA खातों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि अंतरित की जाती है, उनमें केवल राज्यांश की राशि रूपये 50 करोड़ से अधिक के आहरण पर यह सीमा लागू होगी अर्थात् –

उदाहरण–1 यदि किसी योजना में केन्द्रांश ओर राज्यांश का अनुपात 60:40 है और यदि उस योजना में भारत सरकार से केन्द्रांश राशि रूपये 100 करोड़ प्राप्त हुई है, तो लगभग राशि रूपये 66.66 करोड़ राज्यांश राशि होगी चूँकि उक्त राशि वित्त विभाग के संदर्भित पत्र अनुसार 50 करोड़ से अधिक है, तो ऐसी योजनाओं में राज्यांश के आहरण हेतु वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी।

उदाहरण–2 यदि किसी योजना में भारत सरकार से केन्द्रांश राशि रूपये 60 करोड़ प्राप्त हुई है, तो लगभग रूपये 40 करोड़ राज्यांश राशि होगी, जो विभाग अपने स्तर पर स्वयं ही आहरण करने हेतु सक्षम होगा ।

2/– संदर्भित परिपत्र के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे ।

3/– उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(तन्वी सुन्द्रियाल)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल दिनांक 07 अप्रैल 2025

क्रमॉक : एल 1–10/501/2025/ब–7/डीएमसी/चार
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल